रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24042023-245351
CG-DL-W-24042023-245351

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2023, शनिवार/चैत्र 26,—वैशाख 2, 1945
No. 15] NEW DELHI, APRIL 16—APRIL 22, 2023, SATURDAY/CHAITRA 26,— VAISAKHA 2, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह-'ग') के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सर्वेक्षण विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह-'ग') पद भर्ती नियम, 2023 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन:** इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर साधारण श्रेणी, श्रेणी-।। और श्रेणी-। के पदधारी इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनी अपनी श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर: -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि: -** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता: -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति: -** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति: -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)।	84* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (रू.19900-63200/-)।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	(7)	(8)	(9)
18 और 25 वर्ष के बीच* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों	आवश्यक अहर्ता: (i) मोटर कारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति;	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष।

या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) *यदि खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जाती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।	(ii) मोटर यंत्रक्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों में छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ; और (iv) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन। **वांछनीय:** होम गार्ड या नागरिक स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्तर-1 (रु.18000-56900) में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चालन क्षमता के परीक्षण के आधार पर मोटर यान के लिये विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिनके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में नियमित समूह 'ग' स्तर-1 (रु.18000-

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन।	56900) कर्मचारियों का पदधारण करने वाले ऐसे पदधारियों में से जो स्तम्भ-7 में यथाविहित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हो। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हे सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उपमहासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष, 2. भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से एक समूह-'क' अधिकारी - सदस्य, 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)।	84*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रू. 25500-81100/-)।	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में	लागू नहीं होता।

(रू.-19900-63200) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. उपमहासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष, 2. भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से एक समूह-'क' अधिकारी -सदस्य, 3. सहायक महासर्वेक्षक/भारतीय सर्वेक्षण विभाग से समूह 'क' अधिकारी, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)।	97* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (रू 29200-92300/-)।	अचयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु.25500-81100) में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो या जिन्होंने स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में पंद्रह वर्ष सम्मिलित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- 1. उपमहासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - अध्यक्ष, 2. भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से एक समूह-'क' अधिकारी -सदस्य, 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एस एम/02/05/2019]

अनुपमा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 13th, February, 2023.

G.S.R. 40.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Staff Car Driver (Group 'C')

posts in the Survey of India, Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Survey of India Staff Car Driver (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.-The incumbents to the post of Staff Car Drivers in Ordinary Grade, Grade II and Grade I in Survey of India under Department of Science and Technology on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules in their respective grades.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix. – The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Staff Car Driver (Ordinary Grade).	84* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service: Group C (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix.	Not applicable.

Age limit for Direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, If any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Between 18 and 25 years*. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential qualification: 1) Possession of a valid driving license for motor cars; 2) Knowledge of Motor Mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles);	Not Applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or Absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment.

Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union Territory of Ladakh, Andaman & Nicobar Island and Lakshdweep). *If the direct recruitment is to be made by 'direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	3) Experience of driving a motor car for atleast three years; and 4) Matriculation from recognized board. Desirable: Three years service as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation or Absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in Level 1 (Rs.18000-56900) in the Survey of India who possess valid Driving License for Motor Vehicles on the basis of Driving tests to assess the competence to drive Motor cars failing which from officials holding the post of regular Group C employees in Pay Level 1 (Rs.18000-56900) in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in Column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office -Chairman, (2) One Group 'A' Officer from the office other than the Survey of India - Member, (3) Assistant Surveyor General, Surveyor	Not Applicable

Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	General's Office - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade II).	84* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service: Group C (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix.	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with nine years regular service in the grade and have passed the Trade Test specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office. - Chairman, 2. One Group 'A' Officer from the Office other than the Survey of India. - Member, 3. Assistant Surveyor General/Group 'A' Officer of Surveyor General's Office - Member.	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade I).	97* (2023) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service: Group C (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Level 5 (Rs.29,200-92,300) in the pay matrix.	Non-Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade II in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with six years regular service in the grade or with combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Deputy Surveyor General, Surveyor General's Office. - Chairman, 2. One Group 'A' Officer from the Office other than the Survey of India. - Member, 3. Assistant Surveyor General, Surveyor General's Office - Member.	Not Applicable.

[F. No. SM/02/05/2019]
ANUPAMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति ,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहाँ तक उनका संबंध भंडार सहायक और भंडारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में भंडार सहायक और भंडारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, भंडार सहायक और भंडारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे |

2. लागू होना - ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे |

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

5. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भंडार सहायक	2* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 - 81100 रु.)	अचयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके आयु-सीमा 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(7)
अ. आवश्यक अर्हताएं : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या बैंकों अथवा भारत के शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किसी प्राइवेट सेक्टर संगठन में भंडार संभालने और लेखा रखने का दो वर्ष का अनुभव; या

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री जिसमें वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा कारोबार अध्ययन या लोक प्रशासन एक विषय के रूप में रहा हो।

आ. वांछनीय अर्हताएं :

(i) कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा या 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द और 30 शब्द प्रति मिनट){अनुज्ञात समय 10 मिनट} ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त, पब्लिक सेक्टर उपक्रम संगठनों में निविदा, गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से थोक क्रय करने का ज्ञान ।

टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में ऐसे भंडारी जिन्होनें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ(7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव है। टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य |	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडारी	3* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता ।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके आयु-सीमा 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत तारीख होगी।

(7)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त या कानूनी संगठनों, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या भारत के शेयर बाज़ार के संबंध में सूचीबद्ध किसी प्राइवेट संगठन के किसी भंडार या प्रतिष्ठान में भंडार संभालने और लेखा रखने का एक वर्ष का अनुभव | टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष । टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का एक अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा ।	सीधी भर्ती । टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण दिए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों ।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष ; 2. उपनिदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ; 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य |	लागू नहीं होता ।

[फा.सं. एस एम 02/30/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 17th April, 2023

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group "C" and Group "D" posts) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Store Assistant and Store Keeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Assistant and Store Keeper in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Store Assistant and Store Keeper (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limits for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Store Assistant.	2*(2023) *Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500 - 81100).	Non-selection.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the date as fixed by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.
(7)
A. Essential qualifications: (a) (i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) two years experience in handling stores and keeping accounts in a Store or a concern of the Central Government or State Governments, autonomous or statutory organisation, public sector undertakings or University or banks or in a private sector organisation listed on the stock exchanges of India; or (b) Bachelor's Degree with Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or institute. B. Desirable qualifications: (i) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on Computer {thirty - five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depressions per hour or 9000 Key Depressions per hour on an average of five key depressions for each word (Time allowed ten minutes)}. (ii) knowledge of making bulk purchases through tender, Government-e-Market place or Central Public

Procurement Portal in the Central Government or State Governments, autonomous, public sector undertaking organisations. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Store Keeper having level-2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200) with at least eight years service in grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service, by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the level-2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2. Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 3. Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)	Not applicable.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	consisting of:- 1. Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2. Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 3. Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store Keeper.	3* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the date as fixed by the Staff Selection Commission.

(7)
Essential: (i) 12th class pass from a recognised Board. (ii) One year experience in handling Stores and keeping Accounts in a Store or a concern of the Central Government or State Governments, autonomous or statutory organisations, public sector undertakings or University or in any private organisation listed on the stock exchanges of India. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of competent authority or the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority or the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)

Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Head of Department or Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Chairman; 2. Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member; 3. Senior Administrative Officer or Head of Office, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Not applicable.

[F. No. SM/02/30/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.04.24 10:02:06 +05'30'